श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.12.2025 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–09 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि अधिसूचना संख्या–3427, दिनांक–31.12.2020 में निर्धारित जल संयोजन शुल्क में संशोधन के लिए पाँच सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसने दिनांक–26.03.2025 की बैठक में इस विषय में निर्णय लिया है, तदुपरांत अपना प्रतिवेदन विभाग को सौंप दिया है, परन्तु अबतक इसे अधिसूचित नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इस समिति ने अनुशंसा किया हैं कि राज्य में जल संयोजन शुल्क 1000 वर्गफीट क्षेत्रफल वाले परिसर के लिए 5000/–रूपये और इससे अधिक क्षेत्रफल वाले परिसर के लिये अधितम 7000/– रूपये होना चाहिए;	आंशिक स्वीकारात्मक। समिति द्वारा शहरी स्थानीय निकायों अंतर्गत आवासीय उपभोक्ता के लिए 1000 वर्गफीट एवं 1000 वर्गफीट से अधिक Built up area हेतु जल संयोजन अधिष्ठापन शुल्क क्रमशः 5000/– रूपये एवं 7000/– रूपये निर्धारित करने की अनुशंसा की गयी है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त समिति ने जल संयोजन के मामले में गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाली स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या–78, दिनांक–27.02.2015 में विहित "असाध्य बीमारियों के लिए चिकित्सा सहायता योजना" के अनुरूप परिभाषित किये जाने पर सहमति व्यक्त की है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार समिति द्वारा अनुशंसित जल संयोजन शुल्क की अधिसूचना ज़ारी करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली, 2020 में संशोधन की स्वीकृति एवं तदोपरांत इसे अधिसूचित किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–08/वि०स०(अ०सू०)–21/2025 न०वि०आ० 4036 **राँची, दिनांक 09/12/25**

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्र संख्या–3333/वि०स० दिनांक–03.12.2025 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/12/25

सरकार के अवर सचिव।